

प्रबंधक वर्ग
सेंट फारिस एजुकेशन सोसायटी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए गान्धी प्रभाण-पत्र।

संदर्भ- राजिव छत्तीसगढ़ भार्थमिक शिक्षा गंडल रायपुर का पत्र क्रमांक/6368/अशा.गान्धी/2022 रायपुर दिनांक- 03.10.2022

गहोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक -25.07.2024 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल व्यापार विहार वि.ख.बिल्हा बिलासपुर (छ.ग). के (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख- 25.07.2024 से 25.07.2027 तक तीन वर्षों के लिए कक्षा नर्सरी से ०८वीं (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

- 1- मान्यता की स्थीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/एसंवर्द्धन करने के लिए कोई वार्षिकता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपर्योगों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में वच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के वच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- 4- परां ३ में निर्दिष्ट वच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैनंदिन खाता रखेगा।
- 5- जोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय, किसी वच्चे को उसकी आयु का सावृत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्योगों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि :-
- (क) प्रवेशित किसी भी वच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निवासित नहीं किया जायेगा।
- (ख) किसी भी वच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्णन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
- (ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी वच्चे से कोई घोर परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वच्चे को नियम 25 के अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (ङ) अधिनियम के उपर्योगों च के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

- (क) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) में अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के राय की जाती है परन्तु यह और भी कि; विद्यागान अध्यापक जिनके पारा इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
- (छ) अध्यापक अधिनियम की धारा (1) के अधीन विभिन्न अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ज) अध्यापक राय को किसी निजी अध्यापन विद्याकालापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय संगठित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविभिन्न विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रगतिशीलता निम्नानुसार है :-
- विद्यालय परिवार का क्षेत्रफल
 - पुस्तकालय का क्षेत्रफल
 - खेल का मैदान का क्षेत्रफल
 - अध्यापन कक्षाओं की रांगड़ा
 - प्रधान पाठ्यक्रम—राह—कार्यालय—राह भण्डार के लिए कक्ष
 - गालकों और वालिकाओं का पृथक शौचालय
 - पेयजल सुविधा
 - मध्ययान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
 - वाधारहित पहुंच गार्ग
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता
- 9- विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्त्वागत प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यवित्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रगतिशीलता किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 1623 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/रथानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संवधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- रांगन परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

22-10-24
जिला शिक्षा अधिकारी
विलासपुर(छ.ग.)


PRINCIPAL
 Navinikaran Manohar Pratap Singh, Ph.D. (Ob 22-23-646)
 ST. XAVIER'S HIGH SCHOOL
 BILASPUR

D. J. M.
 MANAGER
 ST. XAVIER HIGH SCHOOL
 BILASPUR (C.G.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक / ७१८८८८८८ / मान्यता /
प्रति,

2024-25

बिलासपुर, दिनांक २२/१०/२४

प्रबंधक नाम
रोट फारिसा एजुकेशन रोसायटी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य यात्रा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य यात्रा शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

संदर्भ- सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा गंडल रायपुर का पत्र क्रमांक/6368/आरा.मान्यता/2022 रायपुर
दिनांक- 03.10.2022

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक -25.07.2024 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपराज्ञ मैं रोट जेवियर्स हाई स्कूल व्यापार विहार वि.ख.बिल्हा बिलासपुर (छ.ग.) के (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा 09वी से 12वी (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

- 1- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/प्रारंभिक करने के लिए कोई वायता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य यात्रा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य यात्रा शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपवंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा एक में (या यथारिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में वच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के वच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- 4- परं 3 में निर्दिष्ट वच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक यैंक खाता रखेगा।
- 5- रोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्त्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय, किसी वच्चे को उसकी आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा वह अधिनियम की धारा 15 के उपवंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि :-

 - (क) प्रवेशित किसी भी वच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) किसी भी वच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी वच्चे से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वच्चों को नियम 25 के अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (ङ) अधिनियम के उपवंधों च के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

PRINCIPAL

NOVITIATE XAMIER'S HIGH SCHOOL
BILASPUR
2019-20, 2022-23-647

MANAGER
ST. XAVIER HIGH SCHOOL
BILASPUR (C.G.)

- (म) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की पारा २३(१) में अधीन गण अधिकारित व्यवस्था अद्यताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यालय अध्यापक लिंगमें पारा इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अद्यताएं नहीं हैं ५ वर्षों की वासी के भीतर ऐसी व्यवस्था गोप्यताएं अधिकत नहीं होंगी।
- (छ) अध्यापक अधिनियम की पारा (१) के अधीन विविहारित गणों नहीं की कार्रवों का पालन करेंगे।
- (ज) अध्यापक रखरं को वित्ती निती अध्यापन विद्यालयों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय राष्ट्रपित उपायिकारी द्वारा अधिकारित पात्रगामी के बाहर पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की पारा १९ में विद्यालय के मानकों और राशियां को बनाये रखेगा।
- अतिम निरीक्षण के राष्ट्र सिपोर्ट नी गई प्रश्नपत्रिएं निम्नानुसार हैं :-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 - कुल निर्माण का क्षेत्रफल
 - सोल का मैदान का क्षेत्रफल
 - अध्यापन वक्षाओं की राश्या
 - प्रधान पाठ्य-सह-गगर्यालय-राह भण्डार के लिए कक्ष
 - नालजों और वासिकाओं का पृथक शौचालय
 - पेयजल सुधिया
 - मध्यगान्ध भोजन पकाने हेतु रसोई
 - वाधारहित पहुंच गार्ड
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता
- 9- विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या रथलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किरी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्यंक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड रांख्यांक 1624 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय एरी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/राधानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता रांखंडी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी घोषित जाएं।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।



22-10-24
जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)



PRINCIPAL
ST. XAVIER'S HIGH SCHOOL
BILASPUR
Navnikaran Manyata Ghat 2019-20, 2022-23-648



MANAGER
ST. XAVIER HIGH SCHOOL
BILASPUR (C.G.)